न्यूज़ टुडे

भारत में 'जलवायु परिवर्तन पर पोस्ट-AR6 (आकलन रिपोर्ट) अपडेट' जारी किया गया

यह हालिया अध्ययन **भारत में अवलोकन किए गए और अनुमानित जलवायु परिवर्तनों** का एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है।

घटक	अवलोकन और अनुमान
बढ़ता तापमान	▸ भारत में **1901-30 की तुलना में 2015-24 की अवधि में औसत तापवृद्धि 0.89 डिग्री सेल्सियस** है। ▸ मध्य शताब्दी तक इसके **1.2-1.3 डिग्री सेल्सियस** तक बढ़ने का अनुमान है।
महासागर का गर्म होना	▸ 1950 से **हिंद महासागर** प्रति दशक **0.12 डिग्री सेल्सियस** की दर से गर्म हो रहा है। **वर्ष 2100** तक इसके प्रति दशक **0.17 डिग्री सेल्सियस** की दर से गर्म होने का अनुमान है। ▸ **समुद्री हीट वेव्स** की घटनाएं मध्य शताब्दी तक 20 से बढ़कर लगभग **200 दिन प्रतिवर्ष** होने का अनुमान है। ▸ **1993-2017** की अवधि में **उत्तरी हिंद महासागर** में समुद्र का **जलस्तर 3.3 मिमी प्रतिवर्ष** की दर से बढ़ा है।
मानूसन पैटर्न	▸ **सिंधु-गंगा के मैदानों/ पूर्वोत्तर** में औसत **दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा में गिरावट** आई है, जबकि **अत्यधिक वर्षा की घटनाएं तीव्र** हुई हैं। ▸ उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता के साथ मध्य शताब्दी तक अखिल भारतीय औसत मानसूनी वर्षा में **6-8% की वृद्धि** का अनुमान है।
हिमांकमंडल (Cryosphere) हिंदू कुश हिमालय	▸ **1950-2020** की अवधि में अत्यधिक गर्मी के कारण **प्रति दशक 0.28 डिग्री सेल्सियस** की दर से **हिमनद द्रव्यमान का नुकसान** हुआ है। ▸ **2100 तक 1.5-2 डिग्री सेल्सियस** वैश्विक तापमान वृद्धि पर **हिमनदों के आयतन में 30-50% की कमी** का अनुमान लगाया गया है।
चक्रवात	▸ **1982-2019** की अवधि में **अरब सागर** में मानसून पूर्व चक्रवात की तीव्रता में **40% की वृद्धि** हुई है। ▸ **अरब सागर** की तटरेखा पर समुद्री जलस्तर से संबंधित प्रबल चक्रवाती परिघटनाएं जो ऐतिहासिक रूप से 100 वर्षों में 1 बार होती थी, उनके **मध्य सदी तक वार्षिक** रूप से होने का अनुमान है।

कार्रवाई की आवश्यकता

बढ़ते हुए **समग्र जलवायु जोखिमों** के मद्देनजर, भारत को कृषि, शहरों और लोक स्वास्थ्य प्रणालियों में लचीलापन मजबूत करने के लिए **क्षेत्र-विशिष्ट व डेटा-आधारित अनुकूलन रणनीतियों** को अपनाना होगा।

भारत में अवलोकन किए गए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय हॉटस्पॉट्स

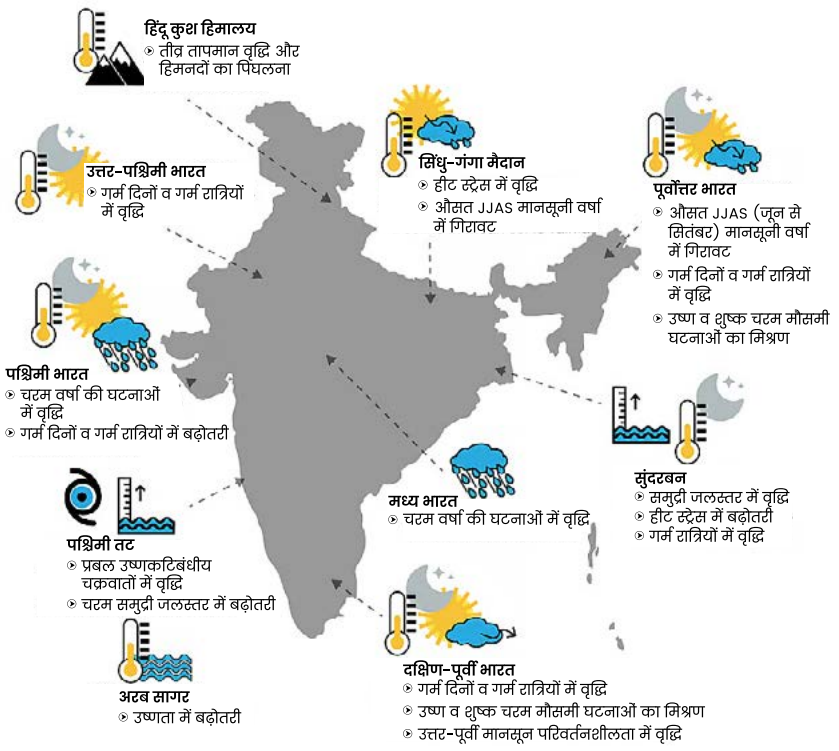

केंद्र सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं को लागू किया

ये चार श्रम संहिताएं **29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू** की गई हैं। यह ऐतिहासिक सुधार है।

- इन सुधारों के माध्यम से **श्रम संहिताओं के अनुपालन को आसान** बनाया गया है और **पुराने प्रावधानों को आधुनिक** स्वरूप दिया गया है।
- साथ ही, ये सुधार सरल व प्रभावी रूपरेखा तैयार करते हैं, जो **श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा करते हुए व्यवसाय-सुगमता** को बढ़ावा देते हैं।

चार श्रम संहिताएं-एक नजर में

श्रम संहिताएं	जिन पुराने श्रम कानूनों का विलय किया गया है	मुख्य प्रावधान
मजदूरी संहिता 2019 (Code on Wages, 2019)	**निम्नलिखित चार कानूनों के स्थान पर मजदूरी संहिता लागू की गई है:** • मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 • बोनस संदाय अधिनियम, 1965 • समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	• यह संगठित और असंगठित—दोनों क्षेत्रकों के सभी कर्मचारियों के लिए **न्यूनतम मजदूरी का सांविधिक अधिकार** का प्रावधान करती है। • नियुक्ति और मजदूरी में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। • नियत समय पर मजदूरी का भुगतान करने, और अनधिकृत कटौतियों को रोकने के प्रावधान अब सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, भले ही उनकी मजदूरी कितनी भी हो।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)	**इसमें निम्नलिखित श्रम अधिनियमों का विलय किया गया है:** • व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन) अधिनियम, 1926 • औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 • औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	• **नियत अवधि नियोजन (FTE):** नियत अवधि के प्रत्यक्ष अनुबंध आधारित नियोजन का प्रावधान है, और इसके तहत **नियोजित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान मजदूरी और अन्य हितलाभ** देने का प्रावधान है। ऐसे कर्मचारी **एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी (उपदान) के लिए पात्र** होंगे। • **कामबंदी/छंटनी/प्रतिष्ठान बंदी के लिए उच्चतर सीमा: 300 या उससे अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठान को कामबंदी/छंटनी/प्रतिष्ठान बंदी के लिए समुचित सरकार से पूर्व-अनुमति लेनी होगी। **पहले 100 कर्मचारी** नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर यह प्रावधान लागू था। राज्य सरकारों को **इस सीमा को बढ़ाने की भी अनुमति** दी गई है।. • **कर्मकार की परिभाषा का विस्तार:** बिक्री (सेल्स) बढ़ाने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, और 18,000 रुपये प्रतिमाह तक आय अर्जित करने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारियों को भी कर्मकार के दायरे में लाया गया है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security, 2020)	**9 श्रम कानूनों का विलय किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:** • कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, • मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961, आदि।	• **गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मी सहित सभी कर्मकारों को** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। • **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के हितलाभों का विस्तार:** ESIC अब पूरे भारत में लागू होगा। पहले यह केवल "अधिसूचित क्षेत्रों" में लागू था। अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है।
उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)	इसमें **13 अधिनियमों का विलय** किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: • कारखाना अधिनियम 1948, • बागान श्रम अधिनियम 1951, • खान अधिनियम 1952	• नियोक्ता द्वारा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी कर्मचारियों को **वार्षिक स्वास्थ्य जांच की निशुल्क सुविधा** उपलब्ध कराई जाएगी। • **खतरनाक कार्यों की सूची का विस्तार:** समुचित सरकार ऐसी किसी भी इकाई को इस संहिता के दायरे में ला सकती है, जहां कार्य-प्रकृति खतरनाक या प्राणघातक हो। ▸ केवल एक कर्मचारी नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF) वैश्विक स्तर पर मोटापा और मधुमेह में वृद्धि के लिए जिम्मेदार: लैंसेट रिपोर्ट

रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि **अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF)** का बढ़ता उपभोग **लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है; चिरकालिक बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है और असमानताओं में वृद्धि** कर रहा है।

भारत में स्थिति

- भारत में **2006 से 2019 तक UPF के उपभोग में 40 गुना वृद्धि** देखी गई है।
  - इसी अवधि के दौरान, भारत में **पुरुषों और महिलाओं दोनों में मोटापा लगभग दोगुना** हो गया है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF) के बारे में

ये **औद्योगिक रूप से अत्यधिक प्रसंस्कृत (processed) खाद्य पदार्थ** हैं। इनमें **वसा, चीनी, और नमक की मात्रा अधिक** होती है। साथ ही, इनमें **पायसीकारक (emulsifiers), रंग और कृत्रिम फ्लेवर** जैसे खाद्य योज्य (additives) भी शामिल होते हैं।

- उदाहरणों में **नूडल्स, बिस्कुट, चिप्स** आदि शामिल हैं।
- इन्हें **अति-स्वादिष्ट** बनाने और भारी विपणन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इनके अधिक उपभोग से **उच्च रक्तचाप, गुर्दे की विफलता, मोटापा, फैटी लिवर रोग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदय रोग** आदि सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

UPF के बढ़ते उपभोग के लिए उत्तरदायी कारक

- **आक्रामक विपणन:** बहुत अधिक विज्ञापन और डिजिटल रूप से लक्ष्यीकरण UPF को सभी आयु समूहों तक पहुंचाता है।
- **उच्च कॉर्पोरेट लाभ:** UPFs उत्पादन में बहुत कम लागत आती है। साथ ही, इनके अति-स्वादिष्ट लगने के कारण इनका बहुत अधिक व बार-बार उपभोग होता है तथा ग्राहकों के लिए ये सस्ते भी होते हैं। इससे बहुत अधिक मुनाफा मिलता है।
- **कमजोर विनियमन:** लेबलिंग, विज्ञापन और स्कूल में बिक्री पर कमजोर विनियम।
- **जीवनशैली में बदलाव और अधिक उपलब्धता:** अत्यधिक व्यस्त शहरी जीवन रेडी-टू-ईट प्रोसेस्ड फूड्स पर निर्भरता बढ़ाता है।

UPFs को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें

- **UPFs पर कर बढ़ाना:** UPFs के उपभोग को कम करने और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी को वित्त-पोषित करने हेतु UPFs पर करों की दर में वृद्धि करनी चाहिए।
- **कॉर्पोरेट प्रभाव को विनियमित करना:** उद्योग के स्व-विनियमन के स्थान पर अनिवार्य नियमों और मजबूत प्रतिस्पर्धा निरीक्षण को लागू करना चाहिए।
- **पैकेज के फ्रंट पर चेतावनी लेबल:** उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए नमक, चीनी और वसा की उच्च मात्रा को दर्शाने वाले लेबल्स को अनिवार्य करना चाहिए।
- **लोक संस्थाओं में UPFs को प्रतिबंधित करना:** स्कूलों, अस्पतालों, बाल देखभाल केंद्रों और सरकारी सुविधाओं में UPFs की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF) की खपत को नियंत्रित करने के लिए भारतीय पहलें

- **ईट राइट इंडिया अभियान:** इसे **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना है।
- **ट्रांस फैटी एसिड (TFA) पर सीमा:** FSSAI के निर्देश के अनुसार, खाद्य पदार्थों में **TFA कुल तेल और वसा की मात्रा का अधिकतम 2%** होना चाहिए।
- **चीनी-युक्त वातित पेय पदार्थों (Aerated beverages) पर कर:** भारत में चीनी या फ्लेवरिंग वाले सभी **वातित पेय पदार्थों पर 40% GST (वस्तु एवं सेवा कर)** लगाया गया है।
- **भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा-निर्देश:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) ने **भारतीयों के लिए आहार संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश (2024)** जारी किए हैं।

यूएन वूमेन के अनुसार विश्व की 44% महिलाएं और लड़कियां डिजिटल माध्यमों से होने वाली हिंसा के विरुद्ध कानूनी संरक्षण से वंचित हैं

डिजिटल माध्यम से दुर्व्यवहार (Digital abuse) "बहुत तेजी से फैल रहा है"। इसके प्रसार में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), गुमनाम रहते हुए (anonymity) सक्रियता** और **कानून में निहित कमियां** भूमिका निभा रही हैं।

'महिलाओं के विरुद्ध डिजिटल माध्यम से हिंसा' क्या है?

- यह डिजिटल माध्यमों से होने वाले उन दुर्व्यवहारों को कहा जाता है जो **AI तकनीक द्वारा सृजित और प्रसारित** किए जाते हैं। इनसे महिलाओं को शारीरिक, यौन, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हानि पहुँचती है, या इनसे उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाने वाली नई चुनौतियां

- **अधिकार-विरोधी अभिकर्ता:** ये ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। **उदाहरण के लिए:** साइबर-बुलिंग, उत्पीड़न, हिंसा या दुर्व्यवहार की धमकियां।
- **AI का बढ़ता उपयोग:** AI का उपयोग किसी के खिलाफ लक्षित दुष्प्रचार करने, तस्वीरों में हेरफेर के माध्यम से दुर्व्यवहार और डीपफेक पोर्नोग्राफी वीडियो के तेजी से प्रसार में किया जा रहा है।
  - ऑनलाइन उपलब्ध **लगभग 90–95% डीपफेक** वास्तव में बिना सहमति लिए किसी की तस्वीर को अश्लील कंटेंट के रूप में प्रस्तुत करने से जुड़े हैं। इनमें **लगभग 90% कंटेंट महिलाओं के** हैं।
  - महिलाओं के खिलाफ AI-आधारित दुर्व्यवहार के नए रूपों में शामिल हैं; **AI-संचालित छद्मरूपण (impersonation), सेक्सटॉर्शन (ब्लैकमेल), और उन्नत डॉक्सिंग (निजी डेटा सार्वजनिक करना)**। ये गंभीर मानसिक क्षति पहुंचाते हैं।
- **मैनोस्फीयर का विस्तार:** यह महिला-विरोधी ऑनलाइन कंटेंट का नेटवर्क है, जो मुख्यधारा संस्कृति में प्रवेश कर रहा है, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है, और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है।
- **कानून में कमियां:** डिजिटल माध्यम से दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कानून मौजूद हैं। इनमें यूनाइटेड किंगडम का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, मेक्सिको का 'ले ओलंपिया', यूरोपीय संघ का डिजिटल सेफ्टी एक्ट शामिल हैं। हालांकि, ये कानून तेजी से बदल रहे जनरेटिव AI की चुनौतियों से निपटने में प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहे हैं।

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है ताकि **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और AI उपकरण सुरक्षा एवं नैतिक मानकों का पालन करें।**
- डिजिटल हिंसा की पीड़ित महिलाओं के समर्थन हेतु **महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता** प्रदान करनी चाहिए।
- **ऑनलाइन दुर्व्यवहार रोकथाम और व्यवहार-परिवर्तन में निवेश** बढ़ाना चाहिए। यह निवेश महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल साक्षर बनाने, ऑनलाइन दुर्व्यवहार से सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने, तथा **विषाक्त ऑनलाइन संस्कृति** को चुनौती देने वाले कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में** किया जाना चाहिए। **उदाहरण के लिए: फ्रांसीसी टेक कंपनी बॉडीगार्ड.AI का ऐप,** जो ऑनलाइन अपमानजनक कंटेंट को हटाता है।

महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध प्रौद्योगिकी जनित हिंसा (TFVAWG)

- **TF VAWG का प्रसार:** 16–58%।
- **गलत जानकारी और अपमानजनक कंटेंट (67%):** यह महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से हिंसा के सबसे आम रूप हैं।
- **73% महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन माध्यम से दुर्व्यवहार** का सामना करने की बात कही।

अन्य सुर्ख़ियां

माउंट सेमेरु

माउंट सेमेरु में हाल ही में **उद्गार** हुआ है। यह **इंडोनेशिया** के **जीवित ज्वालामुखियों में से सबसे सक्रिय** है।

माउंट सेमरू के बारे में

- **अवस्थिति:** पूर्वी जावा द्वीप।
  - यह जावा द्वीप पर स्थित **सबसे ऊंचा** ज्वालामुखी है।
  - यह **प्रशांत अग्नि वलय** (Pacific Ring of Fire) का हिस्सा है, जो **भूकंपीय रूप से अत्यधिक सक्रिय** क्षेत्र है।
- **प्रकार:** यह एक **स्ट्रैटोवोलकेनो** है।
- **इंडोनेशिया में अन्य हालिया ज्वालामुखी उद्गार:** माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, मेरापी ज्वालामुखी आदि।

UAE-जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम (JTWP)

हाल ही में, **COP30 प्रेसीडेंसी ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात-जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम (UAE-JTWP)** का एक मसौदा जारी किया।

UAE-JTWP क्या है?

- **परिचय:** यह **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय** (UNFCCC) के तहत **न्यायसंगत संक्रमण** (Just Transition) के लिए एक कार्यक्रम है।
  - JTWP **असमानता को कम करते हुए और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगारों** का सृजन करते हुए जलवायु समुत्थानशील (climate resilience) को बढ़ावा देगा।
- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2022 में **UNFCCC के COP27 में न्यायसंगत संक्रमण पर एक कार्यक्रम** शुरू किया गया था।
  - इसे **2023** में आयोजित हुए **COP28 में JTWP** के रूप में क्रियान्वित किया गया था।
- **JTWP** के हिस्से के रूप में, **प्रतिवर्ष दो संवाद बैठकें और एक मंत्रिस्तरीय बैठक** आयोजित की जाती हैं।

मस्तिष्क खाने वाला अमीबा (नेगलेरिया फाउलेरी)

हाल ही में, **केरल में "मस्तिष्क खाने वाले अमीबा"** के संक्रमण के मामले सामने आने के बाद **कर्नाटक ने एक सुरक्षा एडवाइजरी** जारी की है।

मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के बारे में

- यह अमीबा विश्व में **उष्ण व उथले ताजे जल के स्रोतों (जैसे- झीलें, नदियां, गर्म जल सोतों आदि) और मृदा** में पाया जाता है।
- जो लोग इस अमीबा से संक्रमित होते हैं, उनमें **प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएनसेफेलाइटिस** (PAM) नामक संक्रामक स्थिति विकसित हो जाती है।
  - यह **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** का एक बहुत ही गंभीर संक्रमण है, जो **लगभग सदैव घातक** होता है।
- यदि इस अमीबा की मौजूदगी वाला **जल नाक में प्रवेश** कर जाता है, तो इस अमीबा से संक्रमण हो जाता है।
  - संक्रमण **एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं** फैलता और न ही **दूषित जल पीने** से फैलता है।

मेरठ बिगुल

मेरठ बिगुल को **भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग)** प्राप्त हुआ।

मेरठ बिगुल के बारे में

- इसका इतिहास **19वीं सदी के उत्तरार्ध** का है और यह भारत की विकसित होती **सैन्य परंपरा** से गहराई से जुड़ा हुआ है।
- **सामग्री:** यह उच्च गुणवत्ता वाले **पीतल** से निर्मित होता है तथा अपने टिकाऊपन और सटीक स्वर के लिए जाना जाता है।
- **उपयोग:** रेजिमेंटल बैंड, सैन्य अकादमियों और देश भर के समारोहों में।

जीआई टैग के लाभ: यह उत्पाद के नाम या प्रतिष्ठा को बिना अनुमति के दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने से रोकता है। इस प्रकार, उत्पाद के उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है; बाजार मूल्य और ब्रांड इक्विटी को बढ़ाता है आदि।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

CISF को **अंतर्राष्ट्रीय पोत एवं पत्तन सुविधा सुरक्षा (ISPS) संहिता** के अंतर्गत पत्तनों के लिए **मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (RSO)** के रूप में नामित किया गया।

- RSO **पत्तन सुरक्षा के विनियामक** के रूप में कार्य करता है।
- **ISPS संहिता,** समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अनिवार्य उपायों का एक व्यापक समूह है। इसे **अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (IMO) समुद्र में जीवन की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (SOLAS)** के माध्यम से कार्यान्वित करता है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के बारे में

- **मंत्रालय:** यह **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का एक अंग है।
- **कानूनी समर्थन और उत्पत्ति:** यह संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968** द्वारा शासित है।
- **अध्यक्ष:** इसका अध्यक्ष महानिदेशक है। यह **भारतीय पुलिस सेवा** का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- **भूमिका:** औद्योगिक सुरक्षा प्रदान करने की पारंपरिक भूमिका के अलावा यह हवाई अड्डों, सरकारी भवनों, स्मारकों, आपदा के दौरान, वीआईपी लोगों, दिल्ली मेट्रो, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- CISF **सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों को सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं** प्रदान कर सकता है।

सागर कवच

हाल ही में **महाराष्ट्र और गोवा तटरेखा** पर सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया।

सागर कवच के बारे में

- यह **भारतीय तटरक्षक बल** द्वारा आयोजित एक **अर्द्धवार्षिक** तटीय सुरक्षा अभ्यास है।
- **उद्देश्य:** तटीय सुरक्षा आपात स्थितियों से निपटने, महत्वपूर्ण तटीय प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने और बहुस्तरीय तटीय सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में भारतीय तटरक्षक बल की तैयारियों का आकलन करना।
  - साथ ही, तटीय और समुद्री सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार केंद्रीय एवं राज्य हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है।

UPI-TIPS इंटरलिंकेज

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **यूरो क्षेत्र के साथ सीमा-पार भुगतान बढ़ाने** के लिए UPI-TIPS इंटरलिंकेज की घोषणा की।

UPI-TIPS (टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट) इंटरलिंकेज के बारे में

- TIPS **यूरोसिस्टम** द्वारा संचालित एक **त्वरित भुगतान प्रणाली** है।
- प्रस्तावित इंटरलिंकेज का उद्देश्य भारत और यूरो क्षेत्र के बीच **सीमा-पार विप्रेषण (remittances) को सुगम** बनाना है तथा इससे दोनों क्षेत्राधिकारों के उपयोगकर्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।
- यह सीमा-पार भुगतान बढ़ाने के लिए **G20 रोडमैप के अनुरूप** है। इसके तहत **वहनीय, कुशल, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ विप्रेषण** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)

SFIO ने अपने **समन/ नोटिस के प्रतिरूपण (impersonation) या दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय** लागू किए हैं। अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, उन्हें डिजिटल रूप से जारी करना होगा।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के बारे में

- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- यह एक बहु-विषयक जांच एजेंसी है, जो जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करती है और अभियोजन करती है।
- **दर्जा:** इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत **वैधानिक** दर्जा प्राप्त है।
- **मंत्रालय:** कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय।
- **अध्यक्ष: निदेशक,** जो भारत सरकार के **संयुक्त सचिव** के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।
- **नोट:** यदि कोई मामला SFIO को सौंपा जाता है, तो केंद्र या राज्य सरकार की कोई अन्य एजेंसी उसकी जांच आगे नहीं बढ़ाएगी।

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ट्रेसेब्लिटी पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2025

भारत ने **"मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ट्रेसेब्लिटी पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2025"** लॉन्च किया।

- इसे **प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)** के अंतर्गत विकसित किया गया है।
  - PM-MKSSY **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना** के अंतर्गत एक **केंद्रीय क्षेत्रक की उप-योजना** है।
  - इसका उद्देश्य **मत्स्य पालन क्षेत्रक को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन** देना है।
- **उद्देश्य:** एक **राष्ट्रीय डिजिटल ट्रेसेब्लिटी प्रणाली** स्थापित करना, जो **खाद्य सुरक्षा, संधारणीयता और वैश्विक बाजार पहुंच** को बढ़ाएगी।
- यह फ्रेमवर्क **ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), क्यूआर कोड और जीपीएस** जैसे डिजिटल उपकरणों को समेकित करके खंडित ट्रेसेबिलिटी कार्यपद्धतियों को एकीकृत करने के लिए एक **व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार करेगा।**
- यह समुद्री खाद्य उत्पादों की **'फार्म टू प्लेट' और 'कैच टू कंज़्यूमर'** वास्तविक समय में, संपूर्ण ट्रैकिंग को सक्षम करेगा।